

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 19/2022

शीर्षक राज्य सरकार

बनाम हज्जी शुक्र

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
28/01/2026	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार ने मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थी पैरोकार सरकार का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम हीरा की बस्सी अ पटवार मण्डल कामली के आराजी संख्या 298, 299 रकबा 0.2288 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान मौका व रिकॉर्ड कि यथास्थिति मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।</p>	